न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 126/2010 निर्णय दिनांक :– 23.12.19

उनवान

1. गीता चौधरी बेवा फूलचंद चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान

––वादी

बनाम

1 धन्ना पुत्र सुरखा "मृतक दौराने दावा"

1/1 नाना देवी बेवा धन्ना

1/2 श्योजीराम पुत्र स्व. धन्ना

1/3 कानाराम पुत्र स्व. धन्ना "मृतक दौराने दावा"

1/3/1 ममता देवी पत्नि स्व. कानाराम

1/3/2 रोहित पुत्र स्व. कानाराम

1/3/3 खुशी पुत्री स्व. कानाराम

1/3/4 मुस्कान पुत्री स्व. कानाराम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\geeta vs dhanna.docx

1/3/5 हिमांशी पुत्री स्व. कानाराम

समस्त नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ममता देवी जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

1/4 बाबूलाल पुत्र स्व. धन्ना

1/5 रमेशचंद पुत्र स्व. धन्ना

1/6 रंगलाल पुत्र स्व. धन्ना हो

1/7 हीरा देवी पुत्री स्व. धन्ना पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम रुबास तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

1/8 कमला उर्फ नन्छी देवी पुत्री स्व. धन्ना पत्नि महेन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

2. मोटाराम उर्फ भूरा पुत्र लक्ष्मीनारायण "मृतक दौराने दावा"

2/1 गोपाल पुत्र स्व0 मोटाराम उर्फ भूरा

2/2 परसराम उर्फ रामप्रसाद पुत्र स्व. मोटाराम उर्फ भूरा

2/3 उदाराम पुत्र स्व. मोटाराम उर्फ भूरा की

2/4 विमला देवी पत्नि स्व. कल्ला

2/5 कविता पुत्री स्व. स्व. कल्ला ही

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज।

3 माघोलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण "मृतक दौराने दावा"

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\geeta vs dhanna.docx

3/1 मन्नी देवी पत्नि स्व. माधौलाल

3/2 हनुमान पुत्र स्व. माधौलाल

3/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व. माधौलाल हो

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज।

4. जयराम पुत्र सूज्या उर्फ सूरजमल

5. पांचू उर्फ पांच्या पुत्र रघुनाथ "मृतक दौराने दावा"

5/1 रामलाल पुत्र स्व. श्री पांचू उर्फ पांच्या का

5/2 जगदीश पुत्र स्व. श्री पांचू उर्फ पांच्या पल

6. श्योकरण पुत्र रामनारायण

7. पूरण पुत्र रामनारायण

8. रामचंद्र पुत्र रामनारायण

9. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण

10. मु. शान्ति बेवा रामनारायण

11. श्योकरण पुत्र काना

12. रघुनाथ पुत्र काना

13. रोडूराम पुत्र हरनाथ

14. रामनारायण पुत्र हरनाथ

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

15. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक ज़रिये मैनेजर शाखा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

16. तहसीलदार महोदय चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

17. उप पंजीयक महोदय चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

संशोधित दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

वाद वादिनी ने निम्न प्रकार प्रस्तुत किया वाक्ये ग्राम बाजडोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा 5, 37, 174, 175, 184, 262, 176, 183, 26/29, कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा स्व0 रघुनाथ की खातेदारी की आराजीयात थी जिसके हाल खसरा नम्बर 12, 58, 59, 129 से 133, 134 से 138, 546 से 550, 552, 556 से 559, 561 से 564, 134, 644 कुल किता 29 कुल रकबा 3.85 है0 आराजीयात के वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पूर्वज स्व0 रघुनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी और उपरोक्त आराजीयात के अन्य प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से अनुसार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रिकार्ड में प्रविष्टियॉ दर्ज थी। वादिनी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एक ही सजरा खानदान वादपत्र के पैरा नम्बर 2 में लिखित है। रघुनाथ के पाँच. पुत्र लक्ष्मण, सूक्खा, यूज्या, पांचू तथा श्योचन्दा थे श्योचन्द्रा ला औलाद फोत हो गया था तथा वादिनी के पति फूलचन्द चौधरी का दिनांक 23.02.88 को 27 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में देहान्त हो गया था तभी से वादिनी अपने पति के हिस्से में आयी आराजीयात 1/10 हिस्से पर काबिज काश्त व दाखिल चली आ रही है। वादिनी के पति के स्वर्गवास के समय उक्त आराजीयात उसके ससूर सुक्खा पुत्र रघुनाथ के नाम खातेदारी मैं दर्ज थी तथा वादिनी सामलाती आराजीयात के अपने पति के हिस्से के अनुसार काबिज काश्त व दाखिल चली आ रही है। कभी तो कभी अपने हिस्से को बठाई पर अपने ही परिवार के सदस्यों को देकर बांठा प्राप्त करती चली आ रही है। वादिनी के ससूर के जीवन काल में विवादित आरजीयात की खातेंदारी उसके ससूर स्व. सुखा पुत्र रघुनाथ के नाम से हिस्से अन्लुसार तकमील थी किन्तु उनका स्वर्गवास वर्ष 1994 में हो जानें के कारण धन्ना प्रतिवादी नं. 1 जो कि नाते में वांदिनी का जेठ लगता है तथा पढा लिखा तथा चाल बाज व्यक्ति होने के कारण सुक्खा पुत्र रघुनाथ के सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 का फोती विरासत इंतकाल स्वयं ने मिलीभगत कर अपने अकेले के नाम से अवैध तश्दीक करवा लिया जबकि वादिनी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के पतिः स्व. फूलचन्द तथा प्रतिवादी नं. 1 का सामलाती हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/10 – 1/10 नामान्तकरण तस्दीक किया जाना कानूनी आवश्यकीय था किन्तु प्रतिवादी नं0 1 ने अपने को स्वयं अकेला सुखा पुत्र रघुनाथ का वारिस बताकर व तथ्यों को छिपाकर अवैध रूप से नामान्तकरण सं. 29 दिनांक 28.06.1989 को तस्दीक व तकमील करवा लिया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य है। वादिनी स्व. फूलचन्द पुत्र सुक्खा की .बेवा है तथा उसके पति का योवनवस्था में सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपनी सुद खो बैठी थी तथा उसके ससुर की फौती के पश्चात कानूनी उसके पति फूलचन्द चौधरी के हिस्से का नामान्तकरण हिस्सा 1/10 उसके नाम से तश्दीक होना चाहिए था किन्तु चालबाज धन्ना ने अपने को केवल सुक्खा का अकेला पुत्र अवगत करबाकर अवैध रूप से हिस्सा 1/5 के इन्द्राजात. की प्रविष्ठी की राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम से करवा लिया, जो कि कानूनी अवैध है और उक्त इन्द्राज की वादिनी को जानकारी जून 1996 में ही हो गई थी तथा तत्पश्चात वादिनी ने 28.10.1996 को ही एक वाद पत्र एस.डी.ओ. दक्षिण, जयपुर में प्रस्तुत कर दिया था किन्तु सभी पक्षकारों व परिवार के सदस्यों व स्वयं धन्ना प्रतिवादी सं. द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आने वाले सेटलमेंट में उपरोक्त अवैध नाम की प्रविष्टि को हजफ

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करवाकर आपके नाम व हिस्से की प्रविष्टि दर्ज करवा देंगे क्योंकि कब्जा तो आपका ही चला आ रहा है। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है इस वाका से वादिनी ने अपना पूर्व दर्ज दावा को खारिज करवा कर बदस्तूर अपने हिस्से पर काबिज काश्त रही। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त अवैध नामान्तकरण से दर्ज प्रविष्टि तथा राजस्व रिकार्ड इन्द्राजात का नाजायज लाभ उठते हुए एवं वादिनी को उसके हितों व कानूनी अधिकारों से वंचित करने की गरज से वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/5 को जयपुर जिला सहकारी विकास बैंक को अवैध रहन रख दी। जिसकी भी वादिनी को जानकारी नही होने दी। इसलिए उक्त रहन वादिनी के हिस्से तक विधि विरूद्ध एवं बमुकाबले वादिनी प्रभावशून्य है। इस रहनामे के आधार पर प्रतिवादीगण सं. 17 को वादिनी के हिस्से तक कोई हक व अधिकार ऋण देने के प्राप्त नहीं थे और ना ही वादिनी के उपरोक्त ऋण से हक व अधिकार समाप्त ही होते है। वादिनी के ससूर व उसके पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद वादिनी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी श्की उत्तराधिकारिणी स्वतः हो गई किन्तु वादिनी को .अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस व सुनवाई पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया इसलिए उक्त ऋण अवैध नामान्तकरण प्राकृति न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वांदिनी के हितों के. विरूद्ध प्रभाव शून्य है। नायब तहसीलदार कोटखावदा तहसील चाकसू, जिला जयपुर द्वारा विवादित नामान्तकरण तश्दीक करने से पूर्व प्रतिवादी नं. 1 को अनुचित लाभ प्रदान करने की गरज से सुक्खा पुत्र रघुनाथ के सभी वैध कानूनी उत्तराधिकारियों की जाँच नहीं कर गुप्त रूँप से ,विवादित नामान्तकरण को केवल यह कहते हुए कि "सुक्खा फौत धन्ना पुत्र" स्वीकार करने में कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर स्वीकृत किया हैं इसलिए भी वादिनी इस वाद पत्र के द्वारा उक्त अवैध नामांकरण को निरस्थ करवाकर अपने हिस्से की अराजीयात बाबत उपरोक्त घोषणा करवाने की. अधिकारिणी है। विवादग्रस्त भूमि वादिनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 से संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात है जिसका उपयोग–उपभोग निरन्तर वादिया अपने. हिस्से तक संयुक्त रूप से बिना किसी रोक व आधार के मुतबातिर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। उपरोक्त अवैध नामान्तकरण वादिनी को बिना सुने तथा काई नोटिस व सुनवाई का मौका दिये बिना वादिनी की अदम मौजूदगी में गुप्त रूप से पारित किया गया है इसलिए वादिनी बेवा को उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.06.1989 प्रतिवादी सं. 1 के अकेले के नाम हिस्सा 1/5 होने की कतई जानकारी व इल्म नहीं था सर्वप्रथम उक्त अवैध इन्द्राजात की वादिनी को जानकारी जून 1996 में ही हो गई

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

थी तथा तत्पश्चात वादिनी ने 28.10.1996 को ही एक वाद पत्र बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा का एस.डी.ओ. दक्षिण, जयपुर में प्रस्तुत कर दिया था किन्तु सभी पक्षकारी व परिवार के सदस्याँ व स्वयं धन्ना प्रतिवादी सं 1 द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आने वाले सेटलमेंट में उपरोक्त अवैध नाम की प्रविष्टि को हजफ करवाकर आपके नाम व हिस्से की प्रविष्टि दर्ज करवा देंगे क्योंकि कब्जा तो आपका ही चला आ रहा है। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है इस. वाका से वादिनी ने अपना पूर्व दर्ज दावे को खारिज करवा कर बदस्तूर अपने हिस्से पर काबिज काश्त रही तत्पश्चात पक्षकारो के मध्य मधुर सम्बन्ध रहे। इसके बाद हाल ही में दिनांक 27.07. 2010 को वादिनी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के गृह निवास पर राजीखुशी एक कार्यक्रम में शरीक होने गयी तथा वहां पर कुछ आपस में छोटी सी कहासुनी को लेकर अनबन हुई तो प्रतिवादी सं. 1 ने पुनः धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात जो पूर्व में मैने मेरे नाम नामान्तकरण – तस्दीक करवां लिया था, अब मैं आपके नाम की कोई दुरूस्ती नहीं करवाउंगा और अब मैं कुछ हिस्से का विक्रय करने जा रहां हूँ. आपका तो केवल कब्जा है आपसे कब्जा कभी भी क्रेता लठ्ठ व ताकत के जोर पर प्राप्त कर लेगा। उपरोक्त वाके से वादिनी को फिक्र हुई तथा तहसील कार्यालय जाकर जानकारी की तथा सम्बन्धित रिकार्ड शाखा में नकल नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तथा प्रमाणित प्रतिलिपि जमा बन्दी मय अन्य आवंश्यकीय दस्तावेजात प्राप्त करने के लिए दरस्खास्त लगाकर दिनांक 02.08.2010 को उपरोक्त सम्पूर्ण दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी हुई, वादिनी द्वारा खर्चे मुकदमे की व्यवस्था कर जानकारी के दिन से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे भी कानूनन घोषण के वाद पत्र के लिए कोई मियाद निर्धारित नही है। वादिया कानूनन अधिकारी है कि वह अपने पति स्व. फूलचन्द पुत्र सुखा के हिस्से की उक्त आराजीयात हिस्सा 1/10 की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा विधिवत बाई मिठ्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत तकासमा करवाने की अधिकारिणी है। वादिया यह भी कानबूनन अधिकारी है कि वह अपने पति के हिस्से की भूमि की सुरक्षा करें और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वह वादिया के हक व हिस्से की भूमि पर उसके उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो. स्वयं करे, न किसी अन्य से करावें तथा प्रतिवादीगण. अवैध राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादग्रस्त भूमि. किसी अन्य व्यक्ति को रहन बमुन्तकिल हस्तान्तरण न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें। वाद कारण दिनांक 28.07.2010 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया के .वादग्रस्त भूमि के हिस्से बाबत उपरोक्त धमकी भरा पूर्ण वाका कहने से तथा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादग्रस्त भूमि का बेचान करके विक्रेता द्वार कब्जा प्राप्त करने की धमकी देने के कारण पुनः यह वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना लाजमी हो गया। प्रतिवादी सं. 18 सरकार लैण्ड होल्डर होने व तहसीलदार सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण वादिनी आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी सं. 18 बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 19 उप–पंजीयक चाकसू है। वादिनी को पूर्ण संभावना है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को खूर्द बुर्द करने व पंजीयन करने करने व पंजीयन करने को आतुर है और दौराने दावा भूमि वादग्रस्त को सुरक्षित रखा जाना कानूनन आवश्यकीय है। इसलिए पक्षकार मुकदमा प्रतिवादी सं. 19 बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार ग्राम बाजडोली, तह. चांकसू, जिला जयपुर में स्थित होने के कारण वाद समाहत माननीय न्यायालय हाजा में निहित है। वादिनी राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तृतीय अनुसूचि के क्रम. संख्या 5, 3 व 23 (सी) क्रमशः– घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निर्धारित उचित न्याय शुल्क 4/– रूपये पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

(क) वाद वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी जिसका वर्णन वादपत्र के मद सं. 1 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया गया है, वादिया को हिस्सा 1/10 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

(ख) वाद वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावें कि वादीया के ससुर स्व. खुखा पुत्र रघुनाथ की विरासत नामान्तकरण संख्या 29 वादिया के हक व अधिकार तक प्रारम्भ से प्रभाव शून्य एवं अक्रत है। उक्त गैर कानूनी प्रभाव शून्य नामान्तकरण संख्या 29 के आधार पर की. गई पश्चातवर्ती प्रविष्टियां एवं विक्रय पत्र वादिया के हितों के विरूद्ध प्रभावशून्य है।

(ग) वाद बहक श्वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण का मिठ्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन किया जाकर वादिया के हिस्से में आई आराजी का विभाजन के अनुसार, पृथक, से खाता व लगान कायम किया जावें।

(घं) वादिया के हिस्से व काश्त की भूमि के लिए प्रतिवादीगण को .जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादिया के हिस्से की भूमि का विक्रय न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपयोग–उपभोग में बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें।

दावा वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी तो प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से वकील हाजीर आया व शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील के हाजीर नही आने एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से दिनांक 01.11.2010 को हाजरी होने पर 01.11.2010 से बार–बार अंतिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही किये जाने पर 8 वर्ष बाद प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब दावा दिनांक 27.05.2019 को बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस में नियम की गयी। पक्षकारान वकील द्वारा दिनांक 03.12.2019 को बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी से दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के पूर्वज स्व0 रघुनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी, वादनी का दावे के पैरा नम्बर 2 के अनुसार है। रघुनाथ के 5 पुत्र हुये जो लक्ष्मण सुक्खा, सूज्या पांचू व श्योचन्दा थे जिनसे श्योचंदा ला औलाद फोत हो गया, वादनी के पति फूलचंद का दिनांक 23.02.1988 को देहान्त हो या तभी से वादनी अपने पति के हिस्से की भूमि 1/10 पर काबिज काश्त चली

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आ रही है, वादनी के पति के स्वर्गवास के समय उक्त आराजीयात उसके ससूर सुक्खा पुत्र रघुनाथ के नाम खातेदारी में दर्ज थी व वादनी शामलाती आराजीयात के अपने पति के हिस्से के अनुसार काबिज काश्त थी, कभी स्वयं तो कभी बटांई पर परिवार के सदस्यो को देकर बांटा प्राप्त करती चली आ रही है। वादनी ने ससूर के जीवनकाल में विवादित आराजी की खातेदारी ससूर सुखा पुत्र रघुनाथ के नाम से हिस्से अनुसार नाम थी ससूर का स्वर्गवास वर्ष 1994 में हो जाने पर धन्ना प्रतिवादी नम्बर 1 जो वादनी का जेठ लगता है व पढा लिखा व चालबाज व्यक्ति होने के कारण सुखा पुत्र रघुनाथ का संपूर्ण दिनांक 1/5 का फोती विरासत नामान्तकरण स्वयं ने अकेले अपने नाम से अवैध तरीके से तस्दीक करवा लिया जबकि वादनी के पति स्व0 फूलचंद तथा प्रतिवादी संख्या 1 का शामलाती हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/10, 1/10 नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। उक्त नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.06.1989 का प्रारंभ से ही अवैध व प्रभाव शुन्य है। वादनी स्व0 फूलचंद पुत्र सुखा की बेवा है। जो ससुर के फौती के पश्चात कानूनी उसके पति फूलचंद चौधरी के हिस्से का नामान्तकरण हि0 1/10 का नाम तस्दीक होना चाहिये जो धन्ना ने अपने को केवल सुखा का अकेला पुत्र अवगत करवाकर अवैध रूप से हिस्सा 1/5 का इन्द्राजात की प्रविष्टी करवा लिया जा कानूनी अवैध होने से

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अपने 1/10 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी होने से दावा वादनी का डिक्री 1/10 हिस्सा का फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी ने वादी वकील की बहस का खंडन करते हुये कथन किया कि वादनी ने साक्ष्य नही करवाये है साक्ष्य के अभाव में वादीनी दावा साबित नही कर पायी है, दावा वादनी साक्ष्य के अभाव में खारिज फरमाया जावे। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया व दावे का एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो दाव वादनी द्वारा दिनांक 01.10.2010 को घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत 53, 88, 89, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से वकील 1/11/10 को हाजीर अदालत होने पर 01.11.2010 से 27.05. 2019 तक जवाब दावा 9 वर्ष 4 माह तक पेश नही करने पर जवाब बन्द कर पत्रावली में जवाब दावा पेश नही होने पर तनकीयात कायम नही की गयी न ही प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश ही करने पर साक्ष्य वादी ली गयी व सीधा ही दावा बहस में नियत कर दिया गया। क्योंकि बिना जवाब दावा व बिना तनकीयात कायम होने से साक्ष्य वादी लिया जाना उचित नही समझते हुये बहस दावा सुनी गयी तो वाकपात इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वादिया के पूर्वज स्व0 रघुनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी सजरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खानदान के अनुसार रघुनाथ के पांच पुत्र लक्ष्मण सुखा, सूज्या पांचू श्योचंदा हुये उनमें से श्योचंदा ना औलाद फौत हो गया व वादनी के पति सुखा पुत्र रघुनाथ का पुत्र था जिसका 27 वर्ष की उर्म में सडक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया तब उक्त आराजी वादिया के ससूर सुखा पुत्र रघुनाथ के नाम खातेदारी में दर्ज थी तब वादनी शामलाती आराजीयात के अपने पति के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त थी, कभी स्वयं काश्त करती तो कभी अपने हिस्से की भूमि को बटाई पर अपने परिवार के सदस्यों को देकर बांटा प्राप्त करती थी। वादिया के ससुर का स्वर्गवास हो जाने पर धन्ना प्रतिवादी संख्या 1 जो वादिया का जेठ लगता था व पढा लिखा व चालबाज होने से सुखा पुत्र रघुनाथ के सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 का फौती विरासत नामानतकरण अकेले अपने नाम से करवा लिया जबकि वादनी के पति स्व0 फूलचंद तथा प्रतिवादी नं0 1 का शामलाती हिस्सा 1/5 का विरासत का दर हिस्सा 1/10 –1/10 नामान्तकरण नियमानुसार तस्दीक किया जाना चाहिये था, किन्तु धन्ना ने अपने को केवल सुक्खा का अकेला पुत्र अवगत कराकर अवैध रूप से हिस्सा 1/5 के इन्द्राज की प्रविष्ठि अपने नाम से करवा ली जो कानूनी अवैध है। जबकि वादिया सुखा के पुत्र फूलचंद की पत्नि व सुखा की पुत्र वधु होने से सुखा के द्वारा छोडी गयी भूमि में हित निहित होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से खातेदारी अधिकार पाने की अधिकारिणी होने से व उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 12, 58, 129, से 133, 134 से 138, 546 से 550, 552, 556, 559, 561 से 564, 134, 644 किता 29 रकबा 3.85 है0 भूमि वाके ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू मे दर्ज जमाबंदी अनुसार सुखा पुत्र रघुनाथ्ज्ञ के हिस्सा 1/5 में से दर हिस्सा 1/10 की अथवा वादिया के पति फूलचंद के शेष हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादिया के ससुर सुखा पुत्र रघुनाथ की विरासत नामान्तकरण संख्या 29 वादिया के हक व अधिकार तक शुन्य घोषित की जाती है, व गैर कानूनी नामान्तकरण संख्या 29 के आधार पर की गई प्रविष्ठिया एवं विकय पत्र वादिया के हितो के विरूद्ध प्रभाव शुन्य घोषित की जाती है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:28:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: